महत्वपूर्ण

संख्याः 1891/2023/1891/92-1-2023 फाइल संख्या-92-1001(099)/18/2023

प्रेषक

हिमांशु कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, **लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त, 2023**

विषयः- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंताओं से अन्य विभाग / संस्था / स्थानीय निकायों का कार्य न लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंताओं से अन्य विभाग / संस्था / स्थानीय निकायों का कार्य न लिए जाने के सम्बन्ध में ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०-111/92-2012- 28आरईएस/2006 दिनांक 10.01.2013 द्वारा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त के क्रम में प्रश्नगत विषय पर नगर विकास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी शासनादेश सं०-411/9-1-2013- 17सा/13, दिनांक 31.01.2013 निर्गत किया गया है। किन्तु, यह संज्ञान में आया है कि जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा उक्त शासनादेशों के विपरीत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंताओं को दूसरे विभाग, संस्था अथवा किसी शहरी/ ग्रामीण स्थानीय निकायों यथा- नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, सूडा व डूडा / जिला पंचायत, डी०आर०डी०ए० आदि के निर्माण कार्यों को अतिरिक्त रूप से देखे जाने हेतु नामित / अधिकृत / सम्बद्ध किया जा रहा है।

2- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंताओं के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में पचास प्रतिशत से भी कम अवर अभियंता कार्यरत हैं। विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित आर्थिक विकास योजना, एफ०डी०आर० इत्यादि से सम्बंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। अवर अभियंताओं की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत, यदि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंताओं से अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

विभाग / संस्था / स्थानीय निकायों का कार्य लिया जाता है तो, विभाग द्वारा कराये जा रहे प्रदेश के विकासात्मक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।

3- इस सम्बन्ध में ध्यातव्य है कि ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०-111/92-2012-28आरईएस/2006 दिनांक 10.01.2013 में निम्नवत निर्देश दिए गए हैं:

(क) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के किसी भी अवर अभियंता को दूसरे विभाग, संस्था अथवा किसी शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों यथा नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, सूडा व डूडा/ जिला पंचायत, डी०आर०डी०ए० आदि के निर्माण कार्यों को अतिरिक्त रूप से देखे जाने हेतु भविष्य में नामित / प्राधिकृत / सम्बद्ध न किया जाये; तथा

(ख) यदि किसी अन्य विभाग अथवा निकाय का निर्माण कार्य, वहाँ पर तकनीकी स्टाफ की अत्यन्त कमी के कारण कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा हो, तो सम्बन्धित विभाग, संस्था अथवा स्थानीय निकाय द्वारा उक्त कार्य को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति में उन्हें सम्बन्धित निर्माण कार्यों की धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को 'डिपाजिट' मद में उपलब्ध कराना होगा, तभी इस विभाग द्वारा संदर्भित निर्माण कार्यों का सम्पादन कराया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित विभाग, संस्था अथवा स्थानीय निकाय द्वारा तद् विषयक अनुरोध किये जाने पर निर्णय लिये जाने हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

(ग) उपरोक्त के सम्बंध में समय-समय पर पूर्व में निर्गत तत्सम्बन्धी शासनादेश अवक्रमित समझे जायेंगे एवं पूर्व में यदि किसी विभागीय अवर अभियंताओं को किसी दूसरे विभाग अथवा स्थानीय निकाय का कार्य देखने हेतु विगत में अधिकृत किया गया हो तो सम्बन्धित कार्य की समाप्ति के उपरान्त अवर अभियंता को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय।

4- यह भी ध्यातव्य है कि प्रश्नगत विषय पर ग्रामीण ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०-2339/92-1-2018-72एम/2017 दिनांक 20.06.2018 द्वारा भी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गए हैं, किन्तु उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो खेदजनक है।

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के किसी भी अवर अभियंता को दूसरे विभाग, संस्था अथवा किसी शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों यथा नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, सूडा व डूडा / जिला पंचायत, डी०आर०डी०ए० आदि के निर्माण कार्यों को अतिरिक्त रूप से देखे जाने हेतु भविष्य में नामित / प्राधिकृत / सम्बद्ध न किया जाये तथा इस सम्बन्ध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्गत शासनादेश सं०-111/92-2012-28 आरईएस/2006 दिनांक 10.01.2013 एवं शासनादेश सं०-2339/92-1-2018-72एम/2017 दिनांक 20.06.2018 में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
हिमांशु कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

(4) आयुक्त/ निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

(5) समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(6) निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(7) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

(8) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश ।

(9) मुख्य अभियंता (पूर्वी / पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(10) समस्त अधीक्षण अभियंता / अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता।

आज्ञा से,
ब्रजेश नारायण सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।